समाज कल्याण विभाग
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर,
दिल्ली गेट, नई दिल्ली–0.

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 236

दिनॉक: - 09.08.2018

प्रश्नकर्ता: - श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

क्या समाज कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन एवं ओल्ड ऐज पेंशन लाभार्थियों को प्रतिमास समय पर नहीं मिल पाती;	जी हां।
(ख)	यदि हॉ, तो इसके क्या कारण हैं;	कुछ तकनीकी कारणों से (जैसे– PFMS पोर्टल आदि) प्रतिमाह पेंशन जारी करने में विलंब हो जाता है जबकि विभाग का प्रयास सभी तरह की पेंशन को समयबद्ध तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। विभाग वर्तमान में दो मास के अंतराल पर पेंशन जारी कर रहा है तथा भविष्य में सुनिश्चित किया जाएगा की विभाग प्रतिमाह पेंशन जारी कर सके।
(ग)	लाभार्थियों को नियमित रूप से बिना किसी विलम्ब के पेंशन मिलती रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;	इसके अतिरिक्त बढ़ी हुई पेंशन राशि प्राप्त करने हेतु विभाग समय–समय पर समाचारपत्रों में विज्ञापन के माध्यम से तथा प्रचार कैंप आदि लगवाकर **Pamphlet/Poster** आदि द्वारा लाभार्थियों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाने की हिदायत दे रहा है। आधार नंबर को बैंक खाते से लिंक कराने संबंधी होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए मंत्री परीषद् ने आधार लिंकिंग की अनिवार्यता को खत्म करने का निर्णय लिया है, ताकि लाभार्थियो को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ बिना किसी कठिनाई के प्राप्त हो सके।

Dr. MAHESH SHARMA
Dy. Director (FAS)
Deptt. of **Social Welfare**
Govt. of **N.C.T. of Delhi**
G.L.N.S. **Complex, Delhi**
New Delhi-110002

<table>
<tr>
<td>(घ)</td>
<td>कितने पेंशनधारी 70 वर्ष की आयु के उपरान्त 2500/– रुपये की पेंशन के हकदार हो गए हैं;</td>
<td rowspan="2">70 वर्ष की आयु के पेंशनधारियों का विवरण निम्न प्रकार है—
<table><tr><td>योजना</td><td>कुल लाभार्थी (70 वर्ष व उससे अधिक आयु के)</td><td>बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थी</td><td>पुरानी दर से प्राप्त कर रहे लाभार्थी</td></tr><tr><td>वृद्धावस्था पेंशन</td><td>242326</td><td>187384</td><td>54942</td></tr></table></td>
</tr>
<tr>
<td>(ङ)</td>
<td>उनमें से कितनों को बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल रही है; इसकी विस्तृत जानकारी दें;</td>
</tr>
<tr>
<td>(च)</td>
<td>क्या यह सत्य है कि आधार कार्ड को बैंक द्वारा नैशनल पेमेंट कोरपोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक न हो पाने के कारण हजारों वयोवृद्ध पेंशनधारियों को बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल पा रही है;</td>
<td>जी हां।</td>
</tr>
<tr>
<td>(छ)</td>
<td>पेंशनधारियों को बढ़ी हुई पेंशन सुचारू रूप से मिल सके, इसके लिए सरकार उपरोक्त समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है; और</td>
<td>सरकार द्वारा बढ़ी हुई पेंशन सुचारू रूप से मिलती रहे इसके लिए बैंकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापति करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग में पेंशन योजना को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए तकनीकि तथा कार्मिक सुधार किए जा रहे हैं।

आधार नंबर को बैंक खाते से लिंक कराने संबंधी होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए मंत्री परीषद् ने आधार लिंकिंग की अनिवार्यता को खत्म करने का निर्णय लिया है, ताकि लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ बिना किसी कठिनाई के प्राप्त हो सके।</td>
</tr>
<tr>
<td>(ज)</td>
<td>क्या यह सत्य है कि काफी कोशिशों के बावजूद भी आधार कार्ड नैशनल पेंमेट कोरपोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक नहीं हो पाने के कारण पेंशन से वंचित लाभान्वितों को सरकार पिछली तिथि से पेंशन देने पर विचार कर रही है ?</td>
<td>जी हां, हाल ही में मंत्री परिषद् ने निर्णय लिया है कि जिन लाभार्थियों के आधार नंबर उनके खातों से संबद्ध नहीं हैं उनको भी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा तथा साथ ही साथ उनके आधार नंबर को भी उनके बैंक खातों से संबद्ध कराने की प्रक्रिया सुचारु रूप से जारी रहेगी।</td>
</tr>
</table>

Dr. MAHESH SHARMA
Dy. Director (FAS)
Deptt. of Social Welfare
Govt. of N.C.T. of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002